छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा   पंचम सत्र   अंक-17

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025

(फाल्गुन 30, शक संवत् 1946)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 (कुल 08) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

तारांकित प्रश्न संख्या- 05 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री रोहित साहू अनुपस्थित रहे ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 43 तारांकित एवं 73 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. अध्यक्षीय घोषणा

उत्कृष्ट विधायक, उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार तथा उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- वर्ष 2024 के उत्कृष्ट विधायक हेतु सत्ता पक्ष से माननीया श्रीमती भावना बोहरा एवं प्रतिपक्ष से माननीय श्री लखेश्वर बघेल का चयन किया गया है।

उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के संवाददाता श्री राकेश पाण्डेय तथा उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर हेतु सुदर्शन न्यूज के संवाददाता श्री योगेश मिश्रा एवं कैमरामैन श्री शिवप्रकाश पुरैना का चयन किया गया है।

मेरी ओर से एवं सदन की ओर से चयनित माननीय सदस्यों एवं पत्रकार बंधुओं को बहुत-बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।

3. सदन को सूचना

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि - आज भोजन की व्यवस्था माननीय श्री केदार कश्यप, जल संसाधन मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा-19 के अंतर्गत चौबीसवॉ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2024, तथा

(2) श्री अरुण साव, उपमुख्य मंत्री (लोक निर्माण) ने कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं हिसाब पत्रक वर्ष 2021-22 एवं 2022-23,

पटल पर रखे।

5. पृच्छा

माननीय डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं माननीय सदस्य सर्वश्री उमेश पटेल, ब्यास कश्यप, भूपेश बघेल, विक्रम मण्डावी, लखेश्वर बघेल, दलेश्वर साहू, लालजीत सिंह राठिया, कुंवर सिंह निषाद, इंद्रशाह मण्डावी एवं श्रीमती संगीता सिन्हा द्वारा प्रदेश में धान खरीदी में गड़बड़ी संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई ।

6. व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि- खरीफ विपणन वर्ष 2024-2025 में धान की खरीदी उपार्जन, उत्पादन, विपणन, वितरण एवं अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का मैंने अवलोकन किया।

मैंने प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचारों को भी सुना । इसी सत्र में उक्त विषय पर पूर्ण चर्चा हो चुकी है। इसमें शासन की ओर से भी तत्संबंधी वक्तव्य आया था। अनुदान मांगों की चर्चा के समय भी इस विषय पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है । प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 55 (5) के तहत, अग्राहृय करते हुए, मैंने इस स्थगन को अग्राहृय कर दिया है।

7. बहिर्गमन

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा स्थगन प्रस्ताव अग्राह्रय किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

8. ध्यानाकर्षण सूचना

मानननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आज की कार्य-सूची में 75 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-22 (6) के तहत शामिल किया गया है। इनमें से क्रमश: प्रथम दो ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़े जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जावेगा तथा उनके संबंध में सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे । उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनायें संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जावेगा । लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जावेगी । संबंधित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

(1) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने प्रदेश में भू-जल स्तर गिरावट पर शासन की ठोस कार्य योजना नहीं बनाये जाने की ओर उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी) ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(2) श्री ब्यास कश्यप, सदस्य ने जिला-अस्पताल जांजगीर के प्रभारी सिविल सर्जन के द्वारा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री श्याम बिहारी जायसवाल, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया ।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए।)

माननीय सभापति की घोषणानुसार कार्यसूची के पद 3 के उप पद (03) से (75) तक सूचना देने वाले सदस्यों की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई तथा संबंधित मंत्री द्वारा उन पर वक्तव्य पढ़े हुए माने जायेंगे । सदस्यों का नाम कार्यवाही में मुद्रित किया जावेगा।

(3) श्री प्रबोध मिंज

(4) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(5) श्री दलेश्वर साहू

(6) श्री अटल श्रीवास्तव

(7) सर्वश्री लखेश्वर बघेल, विक्रम मंडावी

(8) श्री इन्द्र साव

(9) श्री इन्द्र साव

(10) श्रीमती अंबिका मरकाम

(11) श्रीमती गोमती साय

(12) श्रीमती अंबिका मरकाम

(13) श्री कुंवर सिंह निषाद

(14) श्री बालेश्वर साहू

(15) श्री द्वारिकाधीश यादव

(16) श्री लालजीत सिंह राठिया

(17) श्री सुशांत शुक्ला

(18) श्री दलेश्वर साहू

(19) श्री भोलाराम साहू

(20) श्रीमती चातुरी नंद

(21) श्री दलेश्वर साहू

(22) श्री द्वारिकाधीश यादव

(23) श्री बालेश्वर साहू

(24) श्री भूपेश बघेल

(25) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी

(26) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(27) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

(28) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

(29) श्री ओंकार साहू

(30) श्री इन्द्र साव

(31) श्रीमती कविता प्राण लहरे

(32) श्री गजेन्द्र यादव

(33) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

(34) श्रीमती शेषराज हरवंश

(35) श्रीमती अंबिका मरकाम

(36) डॉ. चरणदास महंत

(37) डॉ. चरणदास महंत

(38) श्री अजय चन्द्राकर

(39) डॉ. संपत अग्रवाल

(40) श्री अनुज शर्मा

(41) डॉ. चरणदास महंत

(42) श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती चातुरी नंद, श्रीमती शेषराज हरवंश

(43) श्री रामकुमार यादव, श्रीमती यशोदा निलाम्बार वर्मा, श्री विक्रम मंडावी

(44) श्रीमती चातुरी नंद

(45) श्रीमती अंबिका मरकाम, श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, श्रीमती अनिला भेंडिया

(46) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

(47) श्री दलेश्वर साहू

(48) श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते

(49) श्री विक्रम मंडावी

(50) श्री दलेश्वर साहू

(51) सर्वश्री द्वारिकाधीश यादव, रामकुमार यादव, लालजीत सिंह राठिया

(52) श्री सुशांत शुक्ला

(53) श्री रामकुमार यादव

(54) श्रीमती चातुरी नंद

(55) श्री मोतीलाल साहू

(56) श्री लखेश्वर बघेल

(57) श्री लखेश्वर बघेल

(58) श्रीमती चातुरी नंद

(59) श्री दिलीप लहरिया

(60) डॉ. चरणदास महंत

(61) श्रीमती शेषराज हरवंश

(62) श्री सुशांत शुक्ला

(63) श्री विक्रम मंडावी

(64) श्री अजय चन्द्राकर

(65) श्री सुशांत शुक्ला

(66) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा

(67) श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी

(68) श्री बालेश्वर साहू

(69) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम

(70) श्री धरमलाल कौशिक

(71) श्रीमती भावना बोहरा

(72) श्रीमती अंबिका मरकाम

(73) श्री पुन्नूलाल मोहले

(74) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(75) डॉ. चरणदास महंत

9. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति की घोषणानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं :-

(1) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

(2) श्री कुंवर सिंह निषाद (2 सूचनाएं)

(3) श्री संदीप साहू

(4) श्री रामकुमार यादव

(5) श्री बालेश्वर साहू

(6) श्री ओंकार साहू

(7) श्री ब्यास कश्यप (2 सूचनाएं)

(8) श्रीमती चातुरी नंद (2 सूचनाएं)

(9) श्री देवेन्द्र यादव

(10) श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते (2 सूचनाएं)

(11) श्री विक्रम मंडावी

(12) श्री दलेश्वर साहू

(13) श्रीमती शेषराज हरवंश

(14) श्री जनक ध्रुव

10.शासकीय विधि विषयक कार्य

माननीय सभापति ने कथन किया कि- मैंने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर -

(1) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)

की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत् रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण की अनुमति प्रदान की है । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

(1) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

(2) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पुर:स्थापित किया ।

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से शासन की ओर से प्राप्त विधेयकों की सूचना पर चर्चा, विचार एवं पारण हेतु उसके समक्ष अंकित समय निर्धारित किया, जो इस प्रकार है :-

(1)	छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)	45 मिनट
(2)	छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)	15 मिनट

(3) छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने व्यवस्था की मांग की कि जिस बात की चर्चा यहां शुरू हो चुकी है और जिस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2025 यहां प्रस्तुत किया है, क्या इस सदन को अधिकार है कि इस संदर्भ में यहां कानून बन सके, चर्चा हो सके ? जहां तक मेरे पास जानकारी है कि उसका अधिकार राज्य की सूची में शामिल ही नहीं है । संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र मे जो विषय हैं, उसका उल्लेख संविधान की 7 वीं अनुसूची क्रमांक 2 में दिया गया है तथा क्रमांक 3 में समवर्ती सूची है । इन दोनों सूचियों में ऐसा कोई विषय नहीं है, जिस पर यहां विधेयक पर विचार हो सके।

इस पर माननीय सदस्य सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, भूपेश बघेल ने विचार व्यक्त किये ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए कथन किया कि संविधान की समवर्ती सूची 20 में सामाजिक एवं आर्थिक योजना के प्रावधान हैं और यह विषय लोकतंत्र

सेनानी को सम्मान देने के विषय में है और मध्य प्रदेश में पहले से इस पर वर्ष 2018 में बिल पास हुआ है ।

11. अध्यक्षीय व्यवस्था

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि- कोई भी विधेयक लाए जाने से पहले उसका शासन स्तर पर पूर्ण विचार करने के उपरांत ही विधेयक को लाया जाता है। विधि विभाग द्वारा भी इसके प्रारूप का परिमार्जन किया गया है। यह संविधान की समवर्ती सूची 3 के पद 20 के अंतर्गत है, इसलिए आपकी आपत्ति को मैं अमान्य करता हूं ।

12. बहिर्गमन

(डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

13.शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

श्री अमर अग्रवाल,

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजेश मूणत, धरमलाल कौशिक, सुशांत शुक्ला

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 11 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2025 (क्रमांक 5 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(4) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025)

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री दलेश्वर साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री अजय चन्द्राकर, ब्यास कश्यप

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव किया कि छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 14 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(5) छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रामकुमार यादव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

(सभापति महोदया (सुश्री लता उसेण्डी) पीठासीन हुईं।)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धरमलाल कौशिक, प्रेमचंद पटेल, ईश्वर साहू

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 10 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (पंचायत एवं ग्रामीण विकास) ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 1 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(6) रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025)

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने इस संशोधन विधेयक पर आपत्ति की कि इसमें वित्तीय ज्ञापन नहीं लगाया गया है । यह नियम विरूद्ध है ।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने स्थिति स्पष्ट की ।

14. बहिर्गमन

(श्री भूपेश बघेल, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा इसके विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया ।)

15.शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री राजेश मूणत, प्रबोध मिंज

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 17 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री ओ.पी.चौधरी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि-रजिस्ट्रीकरण (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 9 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025)

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रामकुमार यादव, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री नीलकंठ टेकाम, अनुज शर्मा

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 से 8 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री लखनलाल देवांगन श्रम मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ श्रम कानून संशोधन और विविध प्रावधान विधेयक, 2025 (क्रमांक 10 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025)

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पर विचार किया जाए एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डश: विचार हुआ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री केदार कश्यप, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2025 (क्रमांक 12 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025)

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री मोतीलाल साहू, सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री आशाराम नेताम, गजेन्द्र यादव, श्रीमती शकुन्तला सिंह पोर्ते, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्री गुरू खुशवंत साहेब

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से आज की कार्यसूची का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की घोषणा की।)

सर्वश्री कुंवर सिंह निषाद, प्रणव कुमार मरपची

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया ।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खंड 2 से 25 इस विधेयक का अंग बने।

खंड 1 इस विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने प्रस्ताव किया कि- छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 2025 (क्रमांक 13 सन् 2025) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

16.नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

सूचना प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य श्री धरमलाल कौशिक अनुपस्थित । (सूचना प्रस्तुत नहीं)

17. अशासकीय संकल्प

(1) सदन का यह मत है कि " **प्रदेश के मोटर साईकिल चालकों को हेलमेट व कार चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य किया जाये।"**

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री धर्मजीत सिंह, कुंवर सिंह निषाद, पुन्नूलाल मोहले, श्रीमती संगीता सिन्हा, सर्वश्री सुनील सोनी, लखेश्वर बघेल, अनुज शर्मा, रामकुमार यादव, सुशांत शुक्ला,

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता सदस्य श्री अजय चन्द्राकर से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया ।

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की ।

संकल्प वापस हुआ।

(2) यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि **"वैशाली नगर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाये।"**

श्री रिकेश सेन, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह) ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता माननीय सदस्य श्री रिकेश सेन से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

श्री रिकेश सेन, सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की ।

संकल्प वापस हुआ।

(3) सदन का यह मत है कि **"छत्तीसगढ़ राज्य प्रवासी श्रमिक नीति 2025 बनायी जाये"**

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री ब्यास कश्यप, लखेश्वर बघेल,

श्री लखनलाल देवांगन, श्रम मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया एवं संकल्प प्रस्तुतकर्त्ता माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर से संकल्प वापस लेने का आग्रह किया।

(अध्यक्ष महोदय (डॉ.रमन सिंह) पीठासीन हुए।)

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य ने संकल्प वापस लेने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की ।

संकल्प वापस हुआ।

(4) सदन का यह मत है कि **" 295 किलोमीटर लम्बी कटघोरा-रतनपुर-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़- डोंगरगढ़ रेल लाईन का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये।"**

श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया एवं संक्षिप्त भाषण दिया ।

संकल्प प्रस्तुत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री सुशांत शुक्ला, पुन्नूलाल मोहले, प्रेमचंद पटेल, राजेश अग्रवाल,

डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष

श्री लखनलाल देवांगन, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर देते हुए प्रस्तुत संकल्प पर सहमति दी एवं इसे सर्वानुमति से स्वीकृत किये जाने हेतु सदन से आग्रह किया ।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

18.सदन में घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- आप सभी माननीय सदस्यों को हर्ष के साथ यह सूचित करना है कि भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी सोमवार, दिनाँक 24 मार्च, 2025 को पूर्वान्ह 11:05 बजे छत्तीसगढ़ विधान सभा में पधारेंगी तथा माननीय सदस्यों को सदन में संबोधित करेंगी।

संबोधन के पूर्व माननीय राष्ट्रपति महोदया जी द्वारा वृक्षारोपण एवं माननीय सदस्यों के साथ समूह छायाचित्र आयोजित है। आप सभी माननीय सदस्यगण समूह छायाचित्र एवं सभा में संबोधन के कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं।

आप सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि यातायात की सुगमता की दृष्टि से माननीय राष्ट्रपति महोदया के आधिकारिक आगमन समय से एक घण्टे पूर्व अर्थात् प्रातः 10:00 बजे विधान सभा परिसर में अपना आगमन सुनिश्चित करेंगे तथा समूह छाया चित्र स्थल "सेंट्रल हॉल" में अपना निर्धारित स्थान प्रातः11:00 बजे तक हर हाल में ग्रहण करना भी सुनिश्चित करेंगे। माननीय सदस्यों से यह भी आग्रह है कि माननीय राष्ट्रपति जी के सभा में आगमन एवं प्रस्थान के समय कृपया शांतिपूर्वक अपने आसन पर खड़े रहें, माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन के दौरान सभा की गरिमा के अनुरूप शालीनता और शांतिपूर्ण वातावरण रखने की भी अपेक्षा और आग्रह है।

19.समितियों का निर्वाचन एवं नाम-निर्देशन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-

(1) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिये नौ-नौ सदस्यों के निर्वाचन के लिए नौ-नौ उम्मीदवारों के ही नाम निर्देशन प्रपत्र प्राप्त हुये हैं। चूंकि पांचों समितियों हेतु नौ-नौ सदस्य ही निर्वाचित होना हैं। अतः मैंने इन समितियों के लिये प्राप्त नाम-निर्देशन प्रपत्र अनुसार सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित कर दिया है।

(2) विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियमों में प्रावधान के अनुसार मैंने नाम-निर्दिष्ट समितियों के लिए भी सदस्यों को वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि में सेवा करने के लिये नाम-निर्दिष्ट कर दिया है।

नियमावली के नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन मैंने इन समितियों के सभापति को भी नियुक्त कर दिया है।

उक्त समितियों के सभापति एवं सदस्यों की जानकारी पत्रक भाग-दो के माध्यम से पृथक से सदस्यों को दी जायेगी।

20.नियम-239 के अन्तर्गत विचाराधीन सूचनाएं

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- माननीय सदस्य, श्री रामकुमार यादव, श्रीमती अंबिका मरकाम, श्री ब्यास कश्यप, श्रीमती शेषराज हरवंश, श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, श्री इन्द्रशाह मण्डावी, श्रीमती चातुरी नंद, श्री इन्द्र साव, श्री संदीप साहू, श्रीमती संगीता सिन्हा, श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, श्री कुंवर सिंह निषाद, श्री ओंकार साहू, श्री अटल श्रीवास्तव, श्री विक्रम मण्डावी, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती उत्तरी गनपत जांगड़े, श्री भोलाराम साहू, श्रीमती कविता प्राण लहरे, श्री दलेश्वर साहू एवं श्री बालेश्वर साहू (कुल 21) द्वारा श्री सुनील नामदेव के विरूद्ध प्रस्तुत अवमानना तथा विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 02/2025 दिनांक 06.01.2025 मेरे समक्ष विचाराधीन है।

21.नियम-167 (1) के अन्तर्गत अग्राहृय विशेषाधिकार भंग की सूचनाओं की सदन को सूचना।

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि- माननीय नेता प्रतिपक्ष, डॉ. चरणदास महंत द्वारा राजस्व मंत्री, श्री टंकराम वर्मा एवं माननीय मुख्यमंत्री, श्री विष्णुदेव साय के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 03/2025 दिनांक 17.03.2025 को विचारोपरांत मैंने अपने कक्ष में अग्राहृय कर दिया है।

22. सत्र का समापन

अध्यक्षीय उद्बोधन

छत्तीसगढ़ की षष्ठम विधान सभा के पंचम सत्र का आज अंतिम कार्य दिवस है, यह सत्र 24 फरवरी से 21 मार्च, 2025 के मध्य आहूत रहा, जिसमें 17 बैठकें सम्पन्न हुईं। सर्वप्रथम सफलतापूर्वक सत्र सम्पन्न होने के अवसर पर मैं अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, माननीय पक्ष-विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन की सुव्यवस्थित संचालन में अपना अधिकतम सहयोग प्रदान किया।

यह सत्र यादगार और महत्वपूर्ण इसलिये भी है कि संभवतया यह इस भवन में अंतिम बजट सत्र भी हो सकता है, क्योंकि आप अवगत हैं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा शीघ्र ही अपने नये भवन में स्थानान्तरित होगी। इस भवन और इस सदन के साथ आपकी और हमारी अनेक सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, जो जीवन पर्यन्त हमें इस भवन का स्मरण दिलाती रहेंगी।

छत्तीसगढ़ विधान सभा की स्थापना का यह रजत जयंती वर्ष है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ विधान सभा की वर्तमान षष्ठम विधान सभा अपने अतीत में स्थापित संसदीय मूल्यों को निरंतर मजबूती देने का प्रयास कर रही है और इस कार्य में आप सभी की सहभागिता प्रसंशनीय है। हमारे लिए यह उपलब्धि है कि इस बजट सत्र में राज्य के विकास से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी ने व्यापक, विस्तृत और परिणाममूलक चर्चा की है। इसका प्रभाव भविष्य में अवश्य रूप से छत्तीसगढ़ के विकास में परिलक्षित होगा। आपने इस सत्र में राज्य के विकास से जुड़े हुए प्रत्येक ज्वलंत विषयों पर विचार किया और निष्कर्ष तक पहुंचे। आपके इन प्रयासों की मैं प्रशंसा करता हूं।

मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि इस सत्र में उपलब्ध समय का सदन ने अधिकतम उपयोग किया। आप सभी माननीय सदस्यगणों की यही भावना और प्रयास संसदीय व्यवस्था को मजबूती देने में प्रशंसनीय है। मैं आपके इस योगदान की मुक्त कंठ से प्रशंसा करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि दिनांक 24 मार्च, 2025 को भारत की राष्ट्रपति माननीया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ विधान सभा में आगमन हो रहा है। यहां वे छत्तीसगढ़ विधान सभा सदन को अपने प्रेरक उद्बोधन से अनुग्रहित करेंगी। माननीया राष्ट्रपति जी का सानिध्य और उनके प्रेरक संबोधन से हम लाभान्वित होंगे।

वर्तमान बजट सत्र में आप माननीय सदस्यगणों की इस सदन में उपस्थिति और अपने विचारों की अभिव्यक्ति आपने जिस ढंग से प्रदर्शित की है, वह आपके कार्य और विचारों में उत्तरोत्तर परिपक्वता को परिभाषित करता है। सदन के प्रत्येक सदस्य का आचार, कार्य, विचार और व्यवहार से हमारी संसदीय सम्पदा अनवरत समृद्ध हो रही है।

इस अवसर पर मैं यह भी आग्रह करता हूं कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु सतत् प्रयत्नशील बने रहें। हमें यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि हमारे कार्यों से संसदीय व्यवस्था समृद्ध हो रही है या उसका क्षरण हो रहा है। क्योंकि सभा के सदस्यगणों का संसदीय आचरण ही संपूर्ण संसदीय व्यवस्था की धुरी है तो यह हमारी व्यवस्था है।

इस बजट सत्र में लोक कल्याण से संबंधित सभी विषयों का आपकी चर्चा का विषय बनना इस सत्र की सफलता का प्रतीक है, नये सदस्यों में माननीय श्रीमती भावना बोहरा, श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, श्रीमती चातुरी नंद, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री सुशांत शुक्ला एवं श्री किरण देव जी आदि सदस्यों ने, वहीं वरिष्ठ एवं अनुभवी माननीय सदस्यों सर्वश्री धरम लाल कौशिक जी, राजेश मूणत जी, अजय चन्द्राकर जी, धर्मजीत सिंह जी, उमेश पटेल जी, श्रीमती संगीता सिन्हा जी ने अपने उत्कृष्ट संसदीय ज्ञान एवं कौशल से सदन में विभिन्न विषयों के माध्याम से अपनी प्रभावी भूमिका को स्थापित किया। आप सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए निरन्तर इसी तरह प्रतिबद्ध हों।

मैं ऐसा मानता हूं कि चन्द्राकर जी हमारे सदन के जसप्रीत बुमराह हैं, जिस प्रकार भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे तेज गेंदबाज बुमराह हैं, उनको इन-स्विंग एवं यार्कर डिलीवरी में महारत

हासिल है, वैसे ही हमारे अजय चन्द्राकर जी की बॉलिंग से काफी लोग आहत होते हैं। अजय चन्द्राकर जी के संसदीय ज्ञान, अनुभव और विचार निश्चित रूप से सबके लिए उपयोगी होते हैं।

मैं सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्यगणों को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन के सुव्यवस्थित संचालन में मुझे सहयोग प्रदान किया। विशेषकर श्री धर्मजीत सिंह एवं श्री प्रबोध मिंज जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने लंबे समय तक आसंदी का संचालन किया है। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यगणों ने अपने सकारात्मक सुझावों के संबंध में सरकार को सचेत करते हुए एक आदर्श प्रतिपक्ष के रूप में अपनी भूमिकाएं निभाई, वहीं सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगणों ने अनुशासन के साथ सदन में अपने कार्य और आचरण को प्रदर्शित किया। पक्ष-प्रतिपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

इस सत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, वन, महिला सशक्तिकरण, खेल एवं युवा कल्याण सहित विविध विषयों पर चर्चा के विभिन्न माध्यमों के अंतर्गत सार्थक सम्यक चर्चा को आपने अत्यंत उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शित किया। मेरा विश्वास है कि इस सत्र में संपादित हुई चर्चा से प्राप्त निष्कर्ष खुशहाल छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की प्राप्ति में हमें सहायक सिद्ध होगा।

छत्तीसगढ़ विधान सभा संसदीय व्यवस्था के परिष्करण के लिए प्रत्येक वर्ष उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान करती है, इस वर्ष उत्कृष्ट विधायक के रूप में पक्ष से माननीय श्रीमती भावना बोहरा एवं प्रतिपक्ष से माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी का चयन किया गया है, वहीं उत्कृष्ट संसदीय पत्रकार पुरस्कार हेतु दैनिक समाचार पत्र दैनिक भास्कर के पत्रकार श्री राकेश पाण्डेय एवं उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पुरस्कार सुदर्शन न्यूज चैनल के संवाददाता श्री योगेश मिश्रा एवं कैमरामैन श्री शिवप्रकाश पुरैना का चयन किया गया। सभी पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

इस बजट सत्र में विधायक क्लब के द्वारा होली मिलन का कार्यक्रम उल्लासमय वातावरण में आयोजित हुआ। आप लगभग सभी सदस्यगण ने अपनी उपस्थिति से इस आयोजन को सफल बनाया । माननीय श्री अनुज शर्मा जी, माननीय श्री कुंवर सिंह निषाद जी, माननीया श्रीमती चातुरी नंद जी, माननीय श्री रामकुमार यादव जी एवं माननीय श्री दिलीप लहरिया जी ने अपनी रंगारंग प्रस्तुतियों से सबको अह्लादित किया। पद्मश्री डॉ. सुरेन्द्र दुबे ने अपनी हास्य कविताओं के माध्यम से हम सबका मनोरंजन किया। वहीं दिनांक 18, 19 व 20 मार्च, 2025 को आप सबके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस स्वास्थ्य शिविर का लाभ 37 माननीय सदस्यों द्वारा एवं 601 अन्य लोगों द्वारा लिया

गया। इस लाभकारी आयोजन के लिए मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। आगामी 22 एवं 23 मार्च को आप माननीय सदस्यगणों के लिए आई.आई.एम. द्वारा दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है। आप माननीय सदस्यगणों से यह मेरा विशेष अनुरोध है कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अवश्य रूप से सम्मिलित होना सुनिश्चित करेंगे।

इस बजट सत्र में 5 माननीय सदस्यों ने 128 पृष्ठों की छायाप्रति पुस्तकालय साहित्य से संदर्भ हेतु प्राप्त की। प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत विधान सभा के कार्यकरण से राज्य की आम जनता को अवगत कराने के उद्देश्य से सदन की कार्यवाही के अवलोकन हेतु आम नागरिकों को अवसर दिया जाता है। इस तारतम्य में विभिन्न शासकीय/अशासकीय संस्थाओं, जनप्रतिनिधि संस्थाओं, आम जन एवं छात्र-छात्राओं सहित 11,639 लोगों ने इस सत्र में सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया।

अब मैं आपको इस बजट सत्र में संपादित कार्यों के सांख्यिकीय आंकड़ें प्रस्तुत कर रहा हूं। इस सत्र में माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण और उनके अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा सहित इस सत्र की कुल 17 बैठकों में लगभग 111 घंटे 22 मिनट चर्चा हुई। इस सत्र में तारांकित प्रश्नों की संख्या 1286 एवं अतारांकित प्रश्नों की 1218, इस प्रकार कुल 2504 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 133 प्रश्नों पर सभा में अनुपूरक प्रश्न पूछे गये। इन 2504 प्राप्त प्रश्नों की सूचनाओं में से लगभग 98 प्रतिशत प्रश्नों की सूचनाएं ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त हुईं।

मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इस सत्र की प्रश्नकाल हेतु नियत सभी 16 बैठकों हेतु शत-प्रतिशत 64 प्रश्नों की सूचना देने वाले प्रश्नकर्ता सदस्यों की संख्या 15 रही एवं 50 या 50 से अधिक प्रश्नों की सूचना प्रस्तुत करने वाले सदस्यों की संख्या 15 है, जो अत्यंत प्रसंशनीय एवं माननीय सदस्यों की जागरूकता का द्योतक है। इस सत्र में ध्यानाकर्षण के कुल 562 सूचनाएं प्राप्त हुई, जिनमें से 193 सूचनाएं ग्राह्य हुई और 52 सूचनाएं शून्यकाल सूचना में परिवर्तित की गई। स्थगन की कुल 99 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इस सत्र में माननीय सदस्यगणों द्वारा 582 याचिकाएं प्रस्तुत की गई, जिनमें से 202 याचिकाएं ग्राह्य, 202 याचिका अग्राह्य एवं 178 याचिकाएं विचाराधीन हैं। इस सत्र में विनियोग विधेयक सहित 14 विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई और सभी चर्चा उपरान्त पारित हुये। इसके साथ ही अशासकीय संकल्पों की 35 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें से कुल ग्राह्य 16 में से 6 सूचनाओं पर सभा में चर्चा हुई।

मैं इस सत्र समापन के अवसर पर सम्माननीय पत्रकार साथियों तथा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को बड़ी गंभीरता से प्रचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देकर प्रदेश की जनता को सम्पादित कार्यवाही से अवगत कराया है।

इस सत्र के समापन अवसर पर राज्य शासन के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन जी को बधाई देता हूँ कि संभवत: मुख्य सचिव जी का यह उनका अंतिम बजट सत्र होगा। आपके सुदीर्घ प्रशासनिक अनुभव का लाभ न केवल शासन को, बल्कि विधान सभा को भी आपका हमेशा सहयोग मिलता रहा है। शासन के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था इस सत्र के दौरान कायम रखी।

मैं विधान सभा के सचिव श्री दिनेश शर्मा सहित सचिवालय के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी प्रशंसा करता हूँ,जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन पूर्ण कुशलता एवं निष्ठा के साथ किया। परम्परा अनुसार सत्र समापन अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि घोषित की जाती है, तदनुसार आगामी सत्र, जो पावस सत्र भी होगा, उसकी तिथि जुलाई, 2025 में होना संभावित है।

आगामी 30 मार्च, 2025 को प्रारंभ होने वाले चैत्र नवरात्रि और हिन्दू नववर्ष की आप सभी को शुभकामनायें। आईये, हम सब मिलकर अपने छत्तीसगढ़ राज्य को देश के विकसित राज्यों में से एक राज्य बनाने हेतु कृतसंकल्पित हों, इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

जय हिन्द, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।

श्री विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री, डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने भी उद्‌गार व्यक्त किये।

23. राष्ट्रगान

(राष्ट्रगान जन-गण-मन का गायन किया गया)

रात्रि 8.47 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित की गई ।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा